जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक 08.11.2024

एसओजी टीम शामली व थाना थानाभवन पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 01 किलो 60 ग्राम अफीम व 131 ग्राम स्मैक (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत करीब 35 लाख रुपये) बरामदः-

दिनांक 07/08.11.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे मादक पदार्थ तस्करो के विरुद्ध कार्यवाही एवं रोकथाम अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में एसओजी टीम शामली व थाना थानाभवन पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में 02 अभियुक्तों को ग्राम उस्मानपुर मार्ग पर रजवाहे पर बनी पुलिया के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, अभियुक्त माधु कुमार के कब्जे से अवैध 01 किलो 60 ग्राम अफीम व अभियुक्त दीपक के कब्जे से अवैध 131 ग्राम स्मैक (दोनों की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत करीब 35 लाख रुपये) बरामद हुयी है। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्तगण ने बताया कि वह राजस्थान में अफीम की खेती करते हैं अफीम व स्मैक को हम राजस्थान से लाकर जगह-जगह घूम फिरकर बेचते है जिससे अच्छी बिक्री हो जाती है और हमे काफी मुनाफा होता है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.माधु कुमार पुत्र भैरूलाल निवासी ग्राम सारण थाना गंगवार जनपद चित्तौडगढ (राजस्थान)।

2.दीपक सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह निवासी ग्राम तुम्बडीया थाना साडास जनपद चित्तौडगढ (राजस्थान)।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 01 किलो 60 ग्राम अफीम।

2.अवैध 131 ग्राम स्मैक।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का स्क्रैप बेचकर प्राप्त नगदी बरामदः-

आज दिनांक 08.11.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को चोरी का स्क्रैप बेचकर प्राप्त नगदी 3290/- रुपये सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो दिनाँक 25.07.2024 को वादी श्री सुरेन्द्र पुत्र महा सिंह निवासी ग्राम गांवड़ी थाना गोहाना सदर जनपद शामली के ट्रक संख्या HR69D6875 से ट्रक के चालक, कंडक्टर व एक अन्य व्यक्ति द्वारा स्क्रैप चोरी कर लिया गया था। वादी श्री सुरेन्द्र की दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.दिलशाद पुत्र युसुफ निवासी ग्राम केरटू थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी का स्क्रैप बेचकर प्राप्त नगदी (3290/- रुपये)।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम दथैड़ा में शराब ठेका पर हुई लूट की घटना में शामिल 01 अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड मे लेकर निशांदेही पर डीवीआर व मोबाईल बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 08.07.2024 की थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम दथैड़ा में शराब ठेका पर मौजूद सैल्समैन दीक्षित पुत्र सत्यपाल निवासी ग्राम दथैड़ा थाना झिंझाना जनपद शामली से 02 अज्ञात अभियुक्तों द्वारा नगदी व मोबाईल लूट लिया था व शराब ठेका पर लगे डीवीआर भी साथ में ले गये थे। घटना के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर ठेका मालिक श्री प्रदीप मलिक पुत्र कृष्णपाल मलिक निवासी सी0वी0 गुप्ता कालोनी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली की तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था । उक्त लूट की घटना में शामिल अभियुक्त जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 08.11.2024 को थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना झिंझाना पर पंजीकृत अभियोग में वांछित जिला कारागार मुजफ्फरनगर में निरुद्ध ये अभियुक्त सीटू उर्फ अरविन्द पुत्र गजे सिंह निवासी ग्राम रायपुर नंगली थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर को पीसीआर पर लेकर उसकी निशांदेही पर लूटा गया मोबाईल व डीवीआर बरामद किया गया है। बरामदगी के संबंध मे थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.सीटू उर्फ अरविन्द पुत्र गजे सिंह निवासी ग्राम रायपुर नंगली थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी का विवरणः-

1.लूटा गया मोबाईल व डीवीआर।

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध कच्ची शराब बरामदः-

दिनांक 07.11.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए गये अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 05 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.मनीष उर्फ रोबिन पुत्र वेदपाल निवासी मौहल्ला हाजीपुरा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 05 लीटर कच्ची शराब।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 02 अलग-अलग मामलों में 02 अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा एवं 2,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-

1. वर्ष 2024 में अभियुक्त मुदस्सिर पुत्र सईद निवासी मौहल्ला पंसारियान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना आरपीएफ शामली पर मु0अ0सं0 01/2024 धारा 03 रेलवे अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 08.11.2024 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2. वर्ष 2004 में अभियुक्त संजीव पुत्र ढाढ सिंह निवासी रोनी हाजीपुर थाना बाबरी जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 372/2004 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 08.11.2024 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 1,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगणः-

1.मुदस्सिर पुत्र सईद निवासी मौहल्ला पंसारियान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
2.संजीव पुत्र ढाढ सिंह निवासी रोनी हाजीपुर थाना बाबरी जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI